न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस. टी. ऐक्ट, गोण्डा।

. उपस्थित श्री प्रशान्त मिश्र.....(उच्चतर न्यायिक सेवा)

विशेष सत्र परीक्षण संख्या-**31/15,**

उत्तर प्रदेश राज्य ।

प्रति

1- सुकई पुत्र रामलाल आदि,

निवासीगण- ग्रा०-दुर्गापुर, थाना छपिया, जिला- गोण्डा ।

एन०सी०आर० संख्या- 201/2008,
धारा-323, 504, 506 भा० दं० सं०,
थाना-छपिया, जिला-गोण्डा ।

निर्णय

अभियुक्तगण सुकई, पुल्ले रामलाल लालू के विरूद्ध न्यायालय सी० जे० एम०, गोण्डा में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-155(2) दं०प्रं०सं० बाबत दिये जाने अनुमति विवेचना एन० सी० आर० संख्या-201/2008, धारा-323, 504, 506 भा० दं० सं० थाना छपिया , जिला गोण्डा प्रस्तुत -किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया तथा दिनांक 15-09-2012 को विवेचना कराने हेतु संबंधित थाने को निर्देशित किया गया है। बाद विवेचन आरोप पत्र मुकदमा एन० सी० आर० संख्या-201/08,अन्तर्गत धारा-323, 504, 506 भा०दं०सं० अभियुक्तगण सुकई द लालू के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

अतः अपराध संख्या-201/2008, अन्तर्गत धारा- 323, 504, 506 भा० दं० सं०, के अभियोग में प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, गोण्डा द्वारा मामला विशेष सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय पाते हुए दिनांक 20-01-2015 को सुपुर्द किया गया, जो कि इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामऔतार पुत्र रामदुलारे, निवासी-दुर्गापुर, थाना छपिया, जिला गोण्डा ने दिनांक 06-12-2008 को जबानी सूचना इस आशय की दिया किः-

दिनांक 06-12-2008 को समय 10 बजे दिन में विपक्षीगण सुकई पुत्र राम लाल, रामलाल पुत्र भगौती, फुल्ले पुत्र राम लाल, रामलाल पुत्र बुधई निवासीगण दुर्गापुर, थाना छपिया, जिला गोण्डा पंचायत में तय वादे के खिलाफ अपने मकान के पीछे की तरफ छज्जा व टांड बढ़ाकर बना रहे थें, मैंने मना किया, तो विपक्षीगण गाली देते हुए लाठी-डण्डे से मारने लगे,मैंने शोर मचाया, मुझे बचाने के लिए चुनमुन पुत्र जगदीश प्रसाद व गंगोली पुत्र कन्धई आये और बीच बचाव कराये, विपक्षीगण जाते समय जान व माल की धमकी देते हुए चले गये. मैं चोटहिल हालत में थाना छपिया, गोण्डा पर आकर रिपोर्ट लिखाया था।

प्रार्थी ने जबानी सूचना थाना-छपिया, जिला गोण्डा में दिया, जिस के आधार पर थाना उपरोक्त में अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक- 06-12-2012 को समय 12:15 बजे अपराध संख्या -201/2012, धारा- 323, 504, 506, भा० दं० सं०, अन्तर्गत चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया। नक्शा नजरी, आरोप पत्र, आघात आख्या, कायमी मुकदमें की जी० डी० की नकल रिपोर्ट, तजकिरा आदेश की कार्बन कॉपी तैयार किया गया।

अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण सुकई व लालू के विरूद्ध दिनांक 20-03-2016 को आरोप अन्तर्गत धारा- 323/34, 504, 506 भा० दं० सं०, में

विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी० डब्लू० -1 रामऔतार को परीक्षित कराया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी० डब्लू०-1 रामऔतार ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि आज से साढ़े सात साल हुआ दस बजे दिन का समय था, मुल्जिमान सुकई, फूल्ले, रामलाल व लालू मेरे गांव के हैं। मुल्जिमान मेरे मकान के पीछे की तरफ अपने मकान का छज्जा व टाड़ बढ़ाकर बना रहे थें, मैंने मना किया मुल्जिमान मुझे गाली मार डालिब, तोहार बिटिया चोदी देते हुए मारने लगे। मुल्जिमान मुझे लाठी व ईंटां-पत्थर से मारे थे। शोर पर राम दुलारे, चुनमुन व गगोत्री आये व बीच-बचाव कराये। मुल्जिमान जान व माल की धमकी देते हुए भाग गये। मैं उसी दिन थाने जाकर जबानी रिपोर्ट किया था, मेरी डाक्टरी भी हुई थी। मेरे मूड़ (सिर) में, दाहिने हाथ में बांये जांघ में व दाहिने कंधे में चोटें आई थी। डाक्टरी मनकापुर में हुई थी। गवाह को एन०सी०आर० रिपोर्ट पढ़कर सुनाया गया, तो कहा यही रिपोर्ट मैंने लिखाया था, जिसकी पुष्टि की। विवेचना कराने के लिए मैंने न्यायालय में आकर दरखास्त दिया था तथा न्यायालय के आदेश पर विवेचना हुई थी।

गवाह को कागज संख्या 04/06 पढ़कर सुनाया गया, तो कहा कि यही दरखास्त मैंने लिखाकर न्यायालय में दिया था। जिसकी पुष्टि की जिस पर प्रदर्शक-1 डाला गया। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-1 के साक्ष्य के उपरान्त वादी मुकदमा तथा अभियुक्तगण के द्वारा सन्धिपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अन्य कोई गवाह पेश करने से इंकार किया गया। इसके उपरान्त अभियुक्तगण की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को स्वीकार किया। अतः अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण की ओर से कहा गया है कि अभियोजन कथांनक गलत है, साक्षी पी० डब्लू०-1 के बयान के बारे में कुछ नहीं कहना है तथा मुकदमा रंजिशन चलाया गया। अभियुक्तगण की ओर से बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार किया गया।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से तर्क रखा गया है कि अभियोजन के द्वारा परीक्षित साक्षी संख्या 1 ने केवल मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, जबकि जिरह में साक्षी के मुख्य बयान में किया गया कथन पुष्टित नहीं हो रहा है। उसके बयान से किसी भी प्रकार अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी की ओर से तर्क रखा गया है कि साक्षी पी० डब्लू०-1 ने अपने मुख्य बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, परन्तु अभियुक्तगण से सुलह हो जाने के कारण जिरह में घटना का समर्थन नहीं किया गया है।

वादी मुकदमा रामऔतार को पी०डब्लू०-1 के रूप में परीक्षित किया गया है, ने जिरह में कथन किया है कि जिस समय वाद-विवाद शुरू हुआ ता काफी भीड़ इक्ट्ठा हो गयी थी। भीड़ में धक्का मुक्की से मैं ईंट के ढेर पर गिर गया था, जिससे मुझे चोटें आई थी। लोगों के कहने पर मैंने मुल्जिमान लालू, सुकई व इनके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा लखाया था। मेरी डाक्टरी हुई थी । मैं क्रास केस के मुकदमें में मुल्जिम हूँ। जिरह में यह भी कथन किया गया है कि वे और

मुल्जिमान एक ही गांव के रहने वाले हैं, दोनों में सुलह हो गयी है। साक्षी द्वारा सी०ओ० साहब को दिये गये बयान से इंकार किया गया है तथा अभियुक्तगण द्वारा जान से मार डालने की धमकी देना व गालियां देने से इंकार किया गया है। वादी मुकदमा पी०डब्लू०-1 द्वारा किसी भी प्रकार से अभियोजन कथांनक का समर्थन नहीं किया गया है। जाति सूचक गाली दिया जाना भी वादी मुकदमा के बयान से साबित नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तगण का सुकई व लालू दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण सुकई व लालू को मुकदमा अपराध संख्या-201/2008, अन्तर्गत धारा-323/34, 504, 506 भा० दं० सं०, के अभियोग से दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उसके बंधपत्रों को निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभुओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

sd/-

(प्रशान्त मिश्र**)**

दि० 10-08-2016 विशेष न्यायाधीश एस०सी/एस०टी ऐक्ट**,** गोण्डा।

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

sd/-

(प्रशान्त मिश्र**)**

दि० 10-08-2016 विशेष न्यायाधीश एस०सी/एस०टी ऐक्ट**,** गोण्डा।